

रिपोर्ट पटवारी संख्या / आ. 30 एल 0 आर 0
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। निम्नानुसार
 श्रीमति, प्राथी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज, आधार कार्ड, परिवार रेशन कार्ड, पैन कार्ड
 के आधार पर प्राथी का नाम शोना पुत्र सुरजा राम शोहन लाल
 ही शतः सही दिखा जाया उचित है।
 दिनांक 24/11/2020

क्रमांक : राजस्व/2020/1585-68
 गणना ई प्रोपर्टी
 न्यायालय तहसीलदार, उदयपुरवादी / मुदागौडजी
 दिनांक -
 गूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवादी को पत्रित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अनिश्चया की जाती है /
 की जाती है।
 उचित किताब जाना उचित है।
 तहसीलदार उदयपुरवादी / मुदागौडजी
 दिनांक :- 24/11/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवादी जिला बुंदेलखंड (राज.)
 दिनांक :- 24/11/2020

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" पार्थीना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार (मु030)
 उदयपुरवादी / मुदागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
 निम्नलिखित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से सुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मु030) उदयपुरवादी / मुदागौडजी को राजस्व
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जायेगे।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (सुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	पौरव	2075-78	657	शोना पुत्र सुरजा	शोहन लाल पुत्र सुरजा राम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहना हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
 की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवादी
 दिनांक - 24/11/2020

राजस्व/2020/1585-68

तहसीलदार (मु030) उदयपुरवादी / मुदागौडजी को वास्तु पालनाथी।
 प्राथी / प्राथीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवादी

